

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 972]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 25, 2009/आषाढ़ 4, 1931

No. 972]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2009/ASADHA 4, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2009

का.आ. 1545(अ).—माउंट आबू क्षेत्र का महत्वपूर्ण पारिस्थितिक महत्व है जिसकी निम्नतर ऊंचाई पर उष्ण कटिबंधी शुष्क अस्थायी वन और उच्चतर ऊंचाई पर सदाबहार वन हैं। क्षेत्र की वनस्पतियों और प्राणी समूहों में अनेक जातियाँ और दुर्लभ प्रजातियाँ हैं; इसके अतिरिक्त माउंट आबू में नक्की झील जैसी प्राकृतिक विरासत और दिलवाड़ा मंदिर उच्च विरासत भवन तथा संरचनाएँ जैसी मानव निर्मित विरासत हैं;

और कतिपय विकास संबंधी क्रियाकलापों के कारण अधिकाधिक भूमि कटाव और जल तथा वायु प्रदूषण सहित पर्यावरण के अवक्रमण से महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण न केवल प्राकृतिक संसाधनों पर संकट पड़ा है, अपितु जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य और उत्तरजीविके पर भी प्रभाव पड़ा है;

और आवश्यक हो गया है कि पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्षेत्र का संरक्षण और संरक्षा की जाए;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) के अधीन एक प्रारूप अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2497(अ) तारीख 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 22 अक्टूबर, 2008 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त वर्णित प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी सुझावों और आक्षेपों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर लिया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न माउंट आबू और उसके आसपास के क्षेत्र को माउंट आबू पारिस्थितिक-संवेदनशील जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पारिस्थितिक-संवेदनशील जोन" कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है।

## 2. पारिस्थितिक-संवेदनशील जोन की सीमाएं

(क) उक्त पारिस्थितिक - संवेदनशील जोन सिरोंही जिले में राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में  $24^{\circ} 33' 42''$  और  $24^{\circ} 39' 00''$  उत्तरी अक्षांश के बीच और  $72^{\circ} 41' 36''$  और  $72^{\circ} 48' 06''$  पूर्वी अक्षांश के बीच में स्थित है। भूमि की समाकृति पहाड़ी और अधिक ऊंचाई वाले परिवर्तनों सहित ऊबड़ खाबड़ है, जिसकी लंबाई 300 मीटर से 1727 मीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर, हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है। उक्त पारिस्थितिक - संवेदनशील जोन की सीमाएं निम्नलिखित से मिलकर बनी हैं:

उत्तर - आबू वन ब्लॉक सं. 3 की दक्षिणी सीमा

दक्षिण - आबू वन ब्लॉक सं. 1 की उत्तरी सीमा

पूर्व - आबू वन ब्लॉक सं. 2 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा

पश्चिम - आबू वन ब्लॉक सं. 3 की पूर्वी सीमा

(ख) उक्त पारिस्थितिक - संवेदनशील जोन के अंतर्गत अधिसूचित शहरी क्षेत्र परिसीमा का संपूर्ण क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत वन ब्लॉक क्षेत्रों से सटी हुई माउंट आबू नगरपालिकाएं सीमाएं भी हैं।

(ग) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का नक्शा उपाबंध - क पर है और पारिस्थितिक-संवेदनशील जोन में आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध - ख पर है ।

(घ) वन ब्लॉक क्षेत्रों में (नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर और बाहर दोनों में) सभी कार्यकलाप राजस्थान वन अधिनियम, 1953 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे । संरक्षित क्षेत्र (अभयारण्य) में सभी कार्यकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

3. पारिस्थितिक - संवेदनशील जोन में निम्नलिखित कार्यकलाप विनियमित किए जाने हैं, अर्थात :-

(1) पारिस्थितिक- संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान :-

(i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक - संवेदनशील जोन के लिए एक जोनल मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय में उसे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान उसमें पर्यावरण संबंधी और पारिस्थितिक विचारों को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार के पर्यावरण, वन शहरी विकास, पर्यटन के सभी संबंधित विभागों, नगरपालिका विभाग, राजस्व विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान अनावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों, जिसके अंतर्गत नक्की झील भी है, के संरक्षण, आवह क्षेत्रों के प्रबंध, जलाशय प्रबंध, भूजल प्रबंध, अवमृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं, विरासत स्थलों, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों, और उनके आसपास के क्षेत्रों के संरक्षण और पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध करेगा जिनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम बंदोबस्तों, जनजातीय क्षेत्रों, जिसके अंतर्गत जनजातीय बस्तियां भी हैं, विभिन्न प्रकार और किस्मों के वनों, कृषि क्षेत्रों, उर्वरक भूमियों, हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, फलोद्यान क्षेत्रों, झीलों और अन्य जल निकायों, प्राकृतिक विरासत स्थलों जिसके अंतर्गत पाइंट (जैसे सूर्यास्त पाइंट) भी है, और मानव निर्मित विरासत स्थलों, खड़ी ढालों, निकास चैनलों, प्रथम क्रम जल धाराओं, भूजल, पुनर्भरण क्षेत्रों और भूजल समृद्ध क्षेत्रों, झरने भरण क्षेत्रों, निर्झर

रेखाओं और अन्य पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिक- संवेदनशील क्षेत्रों को सीमांकित करेगा तथा फलोद्यानों, कृषि उद्यान क्षेत्रों और ऐसे ही अन्य स्थानों के जैसे हरियाली के उपयोगों से हरियाली रहित उपयोगों के लिए भूमि के किसी परिवर्तन को जोनल मास्टर प्लान में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, सिवाय इस बात के कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कृषि भूमि के कड़ाई से सीमित संपरिवर्तन की विद्यमान स्थानीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की निवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुमति दी जा सकेगी और इसी प्रकार जनजातीय उपयोगों से गैर-जनजातीय उपयोगों के लिए भूमि के उपयोग में किसी परिवर्तन की राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(v) जोनल मास्टर प्लान यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंध अधिकथित करेगा ।

(vi) माउंट आबू नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के भीतर और बाहर के क्षेत्र के लिए पृथक उप जोनल मास्टर प्लान होंगे, जिसे जोनल मास्टर प्लान के भाग के रूप में राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जा सकेगा जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । जोनल मास्टर प्लान ग्रामीण बस्तियों और माउंट आबू नगर के अधिकतम विस्तार क्षेत्र की पहचान और चिह्नांकन भी करेगा ।

(vii) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार किए जाने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसके अनुमोदन के लंबित रहने के दौरान अनुज्ञेय भूमि क्षेत्र अनुपात, अनुज्ञेय मैदान आच्छादन भूमि, तलों की अधिकतम संख्या और अधिकतम ऊंचाई के विद्यमान मापदंडों में कोई वृद्धि नहीं होगी तथा सभी नए संनिर्माणों को निगरानी समिति द्वारा प्रस्तावों की संवीक्षा और उन्हें अनुमोदित किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और सभी अन्य विकास के क्रियाकलापों के लिए जिसके अंतर्गत भवनों के परिवर्धन, परिवर्तन, ढहाना, मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापन भी हैं, निगरानी समिति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा, परंतु इनमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हों और ये माउंट आबू नगर पालिका सीमाओं में विद्यमान प्राधिकृत कुर्सी क्षेत्र पर हों तथा जनजातीय क्षेत्र, वन क्षेत्र, हरित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(viii) राज्य सरकार या पर्यावरण और वन मंत्रालय उद्देश्यों को अग्रसर करने में और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

## (2) औद्योगिक इकाइयां :

(i) केवल अधिसूचित क्षेत्र में स्थित ग्रामों में आइसक्रीम, होजरी, रेडीमेड वस्त्रों पर कढ़ाई, सिलाई के कार्यों और आयुर्वेदिक औषधियों आदि के जैसे गैर प्रदूषणकारी, गैर परिसंकटमय कुटीर उद्योगों तथा सेवा उद्योगों, पुष्प विज्ञान, उद्यान कृषि और माउंट आबू से उत्पादित करने वाले कृषि आधारित उद्योगों को ही राजस्थान सरकार द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

(ii) स्थानीय ग्राम अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से संबंधित लघु कृषि आधारित उद्योग क्रियाकलापों और स्थानीय कृषि आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण या भंडारण से संबद्ध संरचनाओं को भी "सामान्य गैर कृषि अनुमति अपेक्षाओं और निर्मित किए जा रहे प्लॉट क्षेत्रों के अधिकतम 1/8" के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा।

## (3) खदान और खनन :

(i) पारिस्थितिक- संवेदनशील जोन में खदान और खनन क्रियाकलाप निर्बन्धित होंगे।

(ii) निगरानी समिति को माउंट आबू में स्थल मूल्यांकन के आधार पर स्थानीय आवासीय गृह के संनिर्माण और पारंपरिक सड़क बनाने तथा देखरेख कार्य के लिए अपेक्षित सामग्रियों के सीमित खनन के लिए विशेष अनुमति देने का प्राधिकार होगा।

(iii) 20 डिग्री के या अधिक की प्रवणता वाले खड़ी पहाड़ी ढाल या उच्च डिग्री के कटाव वाले क्षेत्रों पर या वनभूमि पर खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) वृक्ष : पारिस्थितिक- संवेदनशील जोन के भीतर वनों, सरकारी, राजस्व या प्राइवेट भूमियों पर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, वन भूमि की दशा में राज्य सरकार की और सरकारी राजस्व और प्राइवेट भूमि की दशा में संबंधित जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के बिना वृक्ष नहीं गिराए जाएंगे :

परंतु जिला कलक्टर इस शक्ति को उपखंड अधिकारी की पंक्ति से निम्न पंक्ति के किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं करेगा।

परंतु यह और कि ऐसे किसी प्लॉट पर जहां वृक्षों को अपेक्षित पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना गिराया गया है या अन्यथा नष्ट किया गया है, निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) ईंधन लकड़ी के उपयोग पर निर्बन्धन : खाना पकाने और अलाव के लिए ईंधन लकड़ी का प्रयोग करने से वाणिज्यिक स्थापनों को रोकने के लिए केवल द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(एल पी जी) का प्रयोग किया जाएगा और होटलों सहित वाणिज्यिक स्थापनों की ऐसी ईंधन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एल पी जी या प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी । गैर-वाणिज्यिक स्थापनों में भी ईंधन लकड़ी के प्रयोग को समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी ।

(6) अधिक्रमण पर निर्बन्धन : वन क्षेत्र सहित पारिस्थितिक- संवेदनशील जोन के भीतर सभी विद्यमान अधिक्रमणों का पता लगाया जाएगा और ऐसे अधिक्रमणों के विरुद्ध समयबद्ध रीति में राज्य अनुदान अधिनियम, 1961 तथा अन्य विद्यमान राज्य विधियों के उपबंधों के अधीन आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

(7) पर्यटन :

(i) पर्यटन क्रियाकलाप राजस्थान राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार होंगे ।

(ii) पर्यटन मास्टर प्लान जोनल मास्टर प्लान का एक भाग भी बनेगा तथा पारिस्थितिक- संवेदनशील जोन के विस्तृत वहन क्षमता अध्ययन पर आधारित होगा, जो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(iii) सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों, पर्यटन के लिए विकास या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तारण इस पर्यटन मास्टर प्लान के मापदंडों के भीतर ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iv) वहन क्षमता अध्ययन विद्यमान अवसंरचना के आधार पर किया जाएगा और ऐसी किसी परियोजना के भविष्य के प्रक्षेपणों पर आधारित नहीं होगा जिसमें पर्यावरण संबंधी वन समाशोधन अपेक्षित है ।

(v) जोनल मास्टर प्लान के अनुमोदित किए जाने तक पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तारण की अनुमति निगरानी समिति द्वारा विस्तृत विश्लेषण किए जाने के पश्चात् ही दी जा सकेगी और यह इस संबंध में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन होगी ।

(8) प्राकृतिक विरासत : माउंट आबू में नक्की झील, टोड राक, राक निर्माण जल प्रपात, तालाब झरने घाटियां, उपवन, गुफाएं, स्थल, विहार स्थल आदि जैसे प्राकृतिक स्थल हैं और उनके प्राकृतिक स्थापना में उनके संरक्षण की योजनाओं को जोनल मास्टर प्लान और सब जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा तथा इन स्थलों पर या उनके निकट संनिर्माण क्रियाकलापों जिसके अंतर्गत पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के रूप में क्रिया-कलाप भी हैं, हतोत्साहित करने के लिए कड़े मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जाएंगे और जोन में सभी साधारण तालाब सुरक्षित क्षेत्र आरक्षित होंगे ।

(9) मानव निर्मित विरासत : माउंट आबू अनेक मन्दिरों के लिए प्रसिद्ध हैं, इनमें से सबसे प्रमुख दिलवाड़ा मंदिर हैं । मुख्य विरासत और ऐतिहासिक भवन, अचलगढ़ किला, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, नेमीनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और महावीर मंदिर आदि हैं और उनके संरक्षण के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा जोनल मास्टर प्लान और सब जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएंगी । विरासत स्थलों पर या उसके आसपास विकास या संनिर्माण क्रियाकलाप, राजस्थान संस्मारक, पुरातत्व स्थल और पुरावशेष अधिनियम के कानूनी उपबंधों के अधीन और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा 1995 में विरचित किए गए और समय-समय पर यथा संशोधित प्राकृतिक और मानव निर्मित विरासत संरक्षण के लिए आदर्श विनियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

#### ( 10 ) जल

(i) नगर पालिका क्षेत्र में सभी भविष्य के और विद्यमान भवनों में छत के ऊपर वर्षा जल संचयन करने वाले ढांचे उनके कुर्सी क्षेत्र के अनुपात में उपलब्ध कराए जाएंगे तथा संस्थागत और वाणिज्यिक भवन विद्यमान जल प्रदाय स्कीमों से ऐसी रीति में जल नहीं लेंगे जो विशेष रूप से स्थानीय ग्रामों या बस्तियों की जल आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो ।

(ii) गैर नगर पालिका क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन रिसन टैंको और भंडारण टैंको जैसे ढांचों से ही किया जाएगा । भूजल जलभृत पुनर्भरण संरचनाएं, जहां कहीं ऐसी संरचनाओं से ढाल अस्थायित्व न हो संनिर्मित की जाएंगी ।

(iii) बौछार जल निकासों द्वारा जमा किया गया वर्षा भूमि जल को भरने या अपशिष्ट व्ययन नालियों और सीवरों को स्वच्छ करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा ।

(iv) भू-जल का निष्कर्षण प्लाट के अधिभोगी के सदभावी कृषि घरेलू उपयोग के लिए अनुज्ञात किया जाएगा तथा औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय सम्पदाओं या काम्पलेक्सों के लिए भूमि जल के निष्कर्षण के लिए राज्य भूजल विभाग द्वारा अनुज्ञा की अपेक्षा होगी । राज्य भूमि जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना भूमि जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा तथापि भू-जल समृद्ध क्षेत्रों में संनिर्माण गतिविधियों के लिए परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(v) राज्य भूजल विभाग की पूर्व अनुज्ञात के स्वाय भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया तथा जल के संदूषण या प्रदूषण जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषक और प्रदूषण भी हैं को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(vi) क्षेत्र में तीन बड़े जल निकाय हैं अर्थात् उपरी कोहरा बांध, निचला कोहरा बांध और नक्की झील और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में लगभग 25 जल स्थल हैं, जहां पूरे वर्ष जल रहता है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक नाले, बांध, जल भराव, रिसाव और बावडियां भी हैं जो संपूर्ण क्षेत्र में फैले हुए हैं और इनका संरक्षण किया जाना चाहिए ।

**(11) प्लास्टिक का उपयोग :** कोई व्यक्ति अधिसूचित क्षेत्र के भीतर प्लास्टिक थैलियों का उपयोग नहीं करेगा ।

**(12) ध्वनि प्रदूषण :** पर्यावरण विभाग, राजस्थान ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकारी होगा तथा निगरानी समिति इन मार्ग दर्शक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करेगी ।

**(13) पहाड़ी ढलान का विकास और संरक्षण :**

(i) जोनल मास्टर पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को उपदर्शित करेगा जहां संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ii) गहरी ढलान वाले क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जो परिसंकटमय जोनों में आते हैं । झरनों के क्रम में आने वाले क्षेत्रों और उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए उच्च डिग्री के कटाव वाले प्रथम क्रम जल प्रपातों या ढलानों में विकास नहीं किया जाएगा ।

(iii) विद्यमान खड़े पहाड़ी ढलानों या उच्च डिग्री के कटाव वाले ढलानों पर कोई संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।



(14) **मल और बहिस्त्रावों का निस्सारण:** परिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय या वन में किसी बहिस्त्राव का निस्सारण किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा स्थानीय प्राधिकारी जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार अनुपचारित/ और उपचारित बहिस्त्राव के संग्रहण उपचार और निस्सारण के लिए उचित निकासी और उपचार प्रणाली का उपबंध करेगा इसके अतिरिक्त उपचारित मल और उपचारित बहिस्त्रावों का केवल स्थानीय प्राधिकारों तथा निगरानी समिति द्वारा पहचाने गए तथा अनुमोदित किए गए स्थानों पर ही व्ययन किया जाएगा ।

**(15) ठोस अपशिष्ट :**

(i) ठोस अपशिष्ट नगरपालिका ठोस अपशिष्ट(प्रबंधन और हथालन)नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा तथा स्थानीय प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट को अपघटनीय और गैर जैव अपघटनीय घटको में पृथक करने के लिए योजनाएं तैयार करेगा ।

(ii) जैव अपघटनीय सामग्री को खाद बनाकर या कृमिपालन द्वारा अधिमानतः पुनःचक्रित किया जा सकेगा और अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के ग्राह्य चिन्हित स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में व्ययनित किया जा सकेगा । ठोस अपशिष्ट का जलाया जाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

**स्पष्टीकरण :** इस अधिसूचना में "ठोस अपशिष्ट" के अंतर्गत घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक और उद्यान अपशिष्ट हैं ।

(16) **प्राकृतिक झरने :** सभी झरनों के जल आगम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके प्राकृतिक संस्थापन के संरक्षण और उनके नवीकरण, जो सूख गए हैं, की योजनाओं को जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा तथा इन क्षेत्रों में या उनके निकट विकास के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कड़े मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(17) **पहाड़ी सड़कें :** पहाड़ी सड़कों के संनिर्माण और रखरखाव के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किए जाएंगे ।

- (i) 5 कि.मी. से अधिक लम्बाई वाले परिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में किसी सड़क के संनिर्माण के लिए (जिसके अंतर्गत विद्यमान सड़कों का विस्तारण या चौड़ा करना भी है) ;
- (ii) सड़क काटने वाले क्रास निकास संकर्मों और पुलिया के परिणामस्वरूप पहाड़ी ढलान अस्थिरताओं के लिए सड़क के डिजाइन में जैव इंजीनियरी और समुचित तकनीकों का उपयोग करने के उपबंध किए जाएंगे ;
- (iii) डिबरियों का खुड्ड या ढलानों में ढेर नहीं लगाया जाएगा बल्कि सड़कों के संनिर्माण में सम्मिलित किया जाएगा । तथा उपयुक्त और चिन्हित अवस्थानों पर उपयुक्त रीति में अप्रयुक्त कूड़ा-करकट के व्यनन के लिए भी उपबंध किया जाएगा जिससे कि क्षेत्रों की परिस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । इसके अतिरिक्त कूड़ा-करकट को जैव इंजीनियरी और अन्य समुचित तकनीकी का प्रयोग करके उपचारित और भूमि में दबा दिया जाएगा और ऐसे उपायों की लागत को प्रस्तावित सड़क की लागत अनुमान में सम्मिलित किया जाएगा ;
- (iv) जब कभी ऊष्ण मिश्रित संयंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें बस्तियों से कम से कम 2 कि.मी. दूर स्थापित किया जाएगा और स्थल के पास के 200 वर्गमीटर के न्यूनतम क्षेत्र को पेड़ प्रौधों रहित किया जाएगा ;
- (v) सभी सड़कों पर पर्याप्त संख्या में सड़क किनारे की नालियां उपलब्ध करवाई जाएंगी और इन नालियों को व्ययनों के बहने के लिए अवरोध से मुक्त रखा जाएगा । सड़क किनारे की नालियों से इस बहाव को क्षेत्र के प्राकृतिक निकासों से जोड़ा जाएगा ;
- (vi) पंक्तिबंधन विशिष्ट होगा जिससे कि वनस्पति आच्छादन की हानि को कम किया जा सके ;
- (vii) सड़कों को डिजाइन करते समय समुचित डिजाइन मानकों का अनुपालन किया जाएगा जिसके अंतर्गत कटाव और भराव का अधिसंतुलन और अनावश्यक कटाव से बचा जाना भी है ।

4. निगरानी समिति : (1) केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए निगरानी समिति नामक एक समिति का गठन करती है ।

(2) निगरानी समिति का अध्यक्ष साबित प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों का समझने वाला प्रख्यात व्यक्ति होगा। अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :

- (1) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि;
- (2) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार;
- (3) भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट परिस्थितिकीय संवेदनशील जोनों का एक विशेषज्ञ;
- (4) भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट क्षेत्र के बारे में जानकारी रखने वाले दो क्षेत्रीय आवासी/लोग
- (5) भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला पर्यावरण के क्षेत्र में (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि;
- (6) सहायक निदेशक(पर्यटन), माउंट आबू ;
- (7) प्रादेशिक अधिकारी, (राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पाली);
- (8) उप वन संरक्षक(वन्य जीव), माउंट आबू ;
- (9) जिला कलक्टर सिरोही-संयोजक ;

(3) पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा करने वाले क्रियाकलापों की दशा में ऐसे क्रियाकलाप राज्यस्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट किए जाएंगे, जो ऐसी अनापत्तियों को प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।


(4) निगरानी समिति मुद्दों की अपेक्षा पर आधारित अपने विचार-विमर्शों में सहायता करने के लिए संबंधित विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी

(5) निगरानी समिति का अध्यक्ष सदस्य सचिव या निगरानी समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इस सूचना के उपबंधों के अनुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

5. निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की गई कार्रवाई संबंधी अपनी रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

6. केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय निगरानी समिति के कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को समय समय पर निर्देश देगा।

अनुबंध-क  
[पैरा 2 (ग) देखें]



अनुबंध-ख  
[पैरा 2 (ग) देखें]

पारिस्थितिक—संवेदनशील जोन के अधीन आने वाले ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	क्रम संख्या	ग्राम का नाम
1.	सानीगांव	7.	अचलगढ़
2.	मच्छगांव	8.	सालगांव
3.	गोवागांव	9.	येरना
4.	दिलवाड़ा	10.	दुधई
5.	उरिया	11.	हेटामजी
6.	जावल	12.	अरना

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2009

**S.O. 1545(E).**—Whereas, Mount Abu area has significant ecological importance comprising of tropical dry deciduous forests at lower altitude and evergreen forests at higher altitude and the flora and fauna of the region comprise of several endemic and rare species; besides Mount Abu has natural heritage such as Nakki Lake and man-made heritage like Dilwara temples and other heritage buildings and structures;

And whereas, considerable adverse environment impact has been caused due to degradation of the environment with excessive soil erosion and water and air pollution on account of certain developmental activities, thereby endangering not only the natural resources, but also affecting the health and very survival of living beings;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area from ecological and environmental point of view;

And whereas, a draft notification under sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide Notification of Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 2497 (E), dated the 22nd October, 2008, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 22nd October, 2008;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above-mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies Mount Abu and surrounding region enclosed within the boundary described below in the State of Rajasthan as the Mount Abu Ecosensitive Zone (hereinafter called "the Eco-sensitive Zone").

## 2. Boundaries of Eco-sensitive Zone

(a) The said Eco-sensitive Zone is situated in the southern area of Rajasthan in Sirohi District between 24° 33' 42" and 24° 39' 00" North latitude and between 72° 41' 36" and 72° 48' 06" East longitude and the configuration of land is hilly and rugged with high altitudinal variation ranging from 300 meter to 1727 meter. Gurushikar, the highest peak of the Aravali, is the highest peak between the Himalayas and the Nilgiris. The boundaries of the said Eco-sensitive Zone comprise:

North – Southern Boundary of Abu Forest Block No. 3

South – Northern Boundary of Abu Forest Block No. 1.

East – Western and Southern Boundary of Abu Forest Block No. 2.

West – Eastern Boundary of Abu Forest Block No. 3.

(b) The Eco-sensitive Zone covers the entire area of Notified Urban Area Limit, including Mount Abu Municipal Limits adjoining Forest Block Areas.

(c) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages in the Eco-sensitive Zone is at Annexure-B.

(d) All activities in the Forest Block Areas (both within and outside Municipal Areas) shall be governed by the provisions of the Rajasthan Forest Act, 1953 and the Forests (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and all the activities in the Protected Areas (Sanctuary) shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

## 3. The following activities are to be regulated in the Eco-sensitive Zone, namely:-

### (1) Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

(i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of two years from the date of publication of this notification and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments of Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal Department, Revenue Department and Rajasthan State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it.

(iii) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies including Nakki Lake, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community, conservation of heritage sites (both natural and cultural) and their surroundings and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(iv) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, tribal areas including tribal hamlets, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies,

natural heritage sites including points (such as Sunset Point) and man-made heritage sites, steep slopes, drainage channels, first order streams, ground water recharge areas and areas rich in ground water, spring recharge areas, spring lines and other environmentally and ecologically sensitive areas and no change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and other like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands may be permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations without the prior approval of the State Government and similarly, no change in use of land from tribal uses to non tribal uses shall be permitted without the prior approval of the State Government.

- (v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.
- (vi) The area within and outside Mount Abu Municipal Council area shall have separate Sub-zonal Master Plans which may be prepared by the State Government as a component of the Zonal Master Plan which will be submitted for approval to the Ministry of Environment and Forests. The Zonal Master Plan shall also identify and demarcate the maximum expansion area of the village settlements and of Mount Abu Town.
- (vii) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, there shall be no increase in the existing parameters of permissible Floor Area Ratio, permissible ground coverage, maximum number of floors and maximum height and all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee and all other development activities including additions, alterations, demolitions, repairs, renovations and restorations of buildings shall require prior approval of the Monitoring Committee provided that these do not involve structural changes and are on the existing authorised plinth areas in the Mount Abu Municipal Limits and there shall be no consequential reduction in Tribal area, Forest area, Green area and Agricultural area.
- (viii) The State Government or the Ministry of Environment and Forests shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

## (2) Industrial Units:

(i) Only non-polluting, non-hazardous cottage industries like ice cream, hosiery, embroidery on readymade garments, sewing works, ayurvedic drugs, etc. situated in the villages in the Notified area and service industries, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industries producing products from Mount Abu shall be permitted as per the guidelines drawn by the Government of Rajasthan.

(ii) Structures connected with small agro-based industries activities related to the needs of the local village economy and processing or storage of local agro-based products may be allowed subject to the usual "non Agricultural permission requirements and a maximum of 1/8<sup>th</sup> of the plot areas being built up".

**(3) Quarrying and Mining:**

- (i) The Quarrying and Mining activities shall be restricted in the Eco-sensitive Zone.
- (ii) The Monitoring Committee shall have the authority to grant special permission for limited quarrying of materials required for the construction of local residential housing and traditional road making and maintenance work in Mount Abu, based on site evaluation.
- (iii) No quarrying shall be permitted on steep hill slopes with a gradient of 20 degrees or more or areas with a high degree of erosion, or on forestland.

**(4) Trees:** There shall be no felling of trees whether on Forest, Government, Revenue or private lands within the Eco-sensitive Zone without the prior permission of the State Government in case of forest land and the respective District Collector in case of Government, Revenue and private land as per the procedure which shall be laid down by the State Government:

Provided that the District Collector shall not delegate this power to any subordinate officer below the rank of Sub-Divisional Officer.

Provided further that no building permission shall be granted on a plot where trees have been felled or otherwise destroyed without obtaining the requisite prior permission.

**(5) Restriction for use of fuel wood:** To restrict the commercial establishments from using fuel wood for cooking and bonfire, only Liquefied Petroleum Gas (LPG) shall be used and arrangements shall be ensured to provide Liquefied Petroleum Gas (LPG) or natural gas to meet such fuel requirements of commercial establishments including hotels. An action plan shall be prepared for phasing out use of fuel wood even in non-commercial establishments.

**(6) Restriction on encroachment:** All the existing encroachments within the Eco-sensitive Zone including the forest area shall be identified and necessary action shall be taken against such encroachments in a time bound manner subject to the provisions of the State Grant Act, 1961 and other existing State Laws.

**(7) Tourism:**

- (i) The tourism activities shall be as per the Tourism Master Plan to be prepared by the Department of Tourism of the Rajasthan State Government.
- (ii) The Tourism Master Plan shall also form a component of the Zonal Master Plan and shall be based on a detailed Carrying Capacity Study of the Eco-Sensitive Zone, which may be carried out by the State Government.
- (iii) All new tourism activities, development for tourism or expansion of existing tourism activities shall be permitted only within the parameters of this Tourism Master Plan.
- (iv) The Carrying Capacity Study shall be carried out based on the existing infrastructure and shall not be based on future projections of any project that requires environmental or forest clearance.
- (v) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities may be permitted by the Monitoring Committee only after a detailed analysis is carried out by the Monitoring Committee and shall be



subject to the guidelines laid down by the State Government and the Central Government in this regard.

(8) **Natural Heritage:** Mount Abu has natural sites such as Nakki Lake, Toad rock, rock formations, waterfalls, pools, springs, gorges, groves, caves, points, walks, etc., and plans for their conservation in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and Sub-Zonal Master Plan and strict guidelines shall be drawn up by the State Government to discourage construction activities at or near these sites including under the garb of providing tourist facilities and all the general pool reserve areas in the Zone shall be reserved.

(9) **Man-made Heritage:** Mount Abu is famous for several temples, the most prominent being Dilwara Temples and the main heritage and historical buildings are Achalgarh Fort, Dilwara Jain Temples, Rishav Deo Temple, Neminath Temple, Adinath Temple, Parshwanath Temple, Mahaveer Temple, etc., and later heritage buildings, structures and precincts. The plans for their conservation shall be prepared and incorporated in the Zonal and Sub-Zonal Master Plan and the development or construction activities at or around the heritage sites shall be regulated under the statutory provisions of the Rajasthan Monuments, Archaeological Sites and Antiquities Act and in accordance with the Draft Model Regulations for Conservation of Natural and Manmade Heritage Sites formulated by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests in 1995.

**(10) Water:**

- (i) All future and existing buildings, where possible, in the Municipal Area shall provide roof-top rain water harvesting structures commensurate with their plinth area and the Institutional and commercial buildings shall not draw water from existing water supply schemes in a manner that adversely affects water supply especially to local villages or settlements.
- (ii) In Non-Municipal Areas rain water harvesting shall be undertaken through such structures as percolation tanks and storage tanks and only other means. Ground water aquifer recharge structures shall be constructed wherever such structures do not lead to slope instabilities.
- (iii) The rain water collected through storm water drains shall be used to recharge the ground water or to clean the waste disposal drains and sewers.
- (iv) The extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption of the occupier of the plot and the extraction of ground water for industrial or commercial or residential estates or complexes shall require prior written permission, including of the amount that can be extracted, from the State Ground Water Department. However, the areas rich in ground water may not be diverted for construction activities.
- (v) No sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Department and all steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.
- (vi) The area has three big water bodies namely Upper Kodra dam, Lower Kodra dam and Nakki Lake and in addition to this the area has around 25 water places, where water remains through out the year, which include natural nalla, dams, anicuts, seepage and baoris that are spread over entire area and must be protected.

(11) **Use of Plastics:** No person shall use plastic carry bags within the notified area.

(12) **Noise pollution:** The Environment Department, Rajasthan shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise and the Monitoring Committee shall ensure adherence to these guidelines.

(13) **Development on and protection of hill slopes:**

- (i) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where development shall not be permitted.
- (ii) No development shall be undertaken in areas having a steep slope or areas which fall in fault or hazard zones or areas falling on the spring lines and first order streams or slopes with a high degree of erosion as identified by the State Government on the basis of available scientific evidence.
- (iii) No development on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(14) **Discharge of sewage and effluents:** No untreated sewage or effluent shall be permitted to be discharged into any water body or forests within the Eco-sensitive Zone and the local authority shall provide proper drainage and treatment system for collection, treatment and disposal of untreated / and treated effluent in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. Moreover, the treated sewage and treated effluent shall be disposed only at or into a point(s) identified and approved by the local authorities and the Monitoring Committee.

(15) **Solid Wastes:**

- (i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
- (ii) The biodegradable material may be recycled preferable through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at the site identified outside the Eco-sensitive Zone. No burning or incineration of solid wastes shall be permitted.

**Explanation:-** In this notification, "solid wastes" shall include domestic, industrial commercial and garden wastes.

(16) **Natural Springs:** The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to ban development activities at or near these areas.

(17) **Hill Roads:** Guidelines shall be framed for the construction and maintenance of hill roads and incorporated in the Zonal Master Plan:

- (i) for construction of any road including untarred in the Eco-sensitive Zone of more than 5 km length (including the extension or widening of existing roads);

- (ii) provision shall be made in the design of the road for treatment of hill slope instabilities resulting from road cutting cross drainage works and culverts using bio-engineering and other appropriate techniques and by including the cost of such measures in the cost estimate of the proposed road;
- (iii) the debris shall not be dumped down the khud or slopes but shall be subsumed in the construction of roads and the provision shall also be made for disposal of unused debris in appropriate manner at suitable and identified locations so as not to affect the ecology of the area adversely and the debris shall be treated and landscaped using bio-engineering and other appropriate techniques and the cost of such measures shall be included in the cost estimate of the proposed road;
- (iv) whenever hot mix plants are used they shall be set up at least 2 kilometer away from the settlements and a minimum area of 200 square meter surrounding the site shall be devoid of vegetation;
- (v) all roads shall be provided with adequate number of road side drains and these drains shall be kept free from blockage for runoff disposals. This run off from the road side drainage shall be connected with the natural drainage system in the area;
- (vi) alignment shall be selected so as to minimise loss of vegetal cover;
- (vii) appropriate design standards shall be followed while designing the roads including mass balancing of cut and fill and avoidance of unnecessary cutting;

#### 4. Monitoring Committee:

- (1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government shall constitute a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:

- (1) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India;
- (2) senior Town Planner of the Area;
- (3) one expert, on the Eco-sensitive Zones nominated by Government of India;
- (4) two local residents / people knowledgeable about the region to be nominated by the Government of India.
- (5) two representatives of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India;
- (6) Assistant Director (Tourism), Mount Abu;
- (7) Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali;
- (8) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Mount Abu;
- (9) the District Collector, Sirohi as the Member Secretary.

(3) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority, which shall be the Competent Authority for grant of such clearances.

(4) The Monitoring Committee may also invite the representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirement of the issues.


(5) The Chairman or Member Secretary of the Monitoring Committee or any officer authorised by the Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for non-compliance of the provisions of this notification.

5. The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31<sup>st</sup> March of every year to the Ministry of Environment and Forests.
6. The Central Government in the Ministry of Environment and Forests Ministry shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the function of the Monitoring Committee.

[F. No. 20-1/2005-IA-III]

DR. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE - A  
[See paragraph 2(c)]



ANNEXURE - B  
[See paragraph 2(c)]

## LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO SENSITIVE ZONE

Serial Number	Name of village
1.	Sanigaon
2.	Machgaon
3.	Goagaon
4.	Delwara
5.	Oriya
6.	Jawal
7.	Achalgarh
8.	Salgaon
9.	Torna
10.	Dudhai
11.	Hetamji
12.	Arna